रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 1986/ज्येष्ठ 29, 1908
No. 238] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 1986/JYAISTHA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली 16 जून, 1986

अधिसूचना

का० आ० 361(अ) —जबकि भारत सरकार और भारत मे अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास समिति के बीच पत्रो के आदान प्रदान के अनुपालन मे यह आवश्यक है कि उक्त अन्तर्राष्ट्रीय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय को पाच वर्ष की अवधि के लिए भारत मे वही विशेषाधिकार एव उन्मुक्तिया प्रदान की जाए जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एव उन्मुक्तियां) अधिनियम 1947 (1947 का 46) की अनुसूची को धारा 7(ख), 8 और 18 मे बताई गई हैं,

अत अब उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची की धारा 7(ख), 8 और 18 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनो सहित भारत मे अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास समिति के क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके अधिकारियों पर लागू होगे बशर्ते कि निम्नलिखित सशोधन किए जाए, यथा —

सशोधन

1 अनुच्छेद दो में—

(क) धारा 7 मे, शुरू के भाग में और खड (ख) मे "सयुक्त राष्ट्र" शब्दो के स्थान पर "अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास समिति का क्षेत्रीय कार्यालय" शब्द रखे जाएगे

(ख) धारा 8 मे "सयुक्त राष्ट्र" शब्दो के स्थान पर, जहा कही भी ये आए, "अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास समिति का क्षेत्रीय कार्यालय" शब्द रखे जाएगे ।

2 अनुच्छेद पाच मे—

(क) धारा 18 मे,—

(i) शुरू के भाग मे "सयुक्त राष्ट्र" शब्दो के स्थान पर "अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास समिति का क्षेत्रीय कार्यालय" शब्द रखे जाएगे ,

(ii) खड (ख) मे, "सयुक्त राष्ट्र" शब्दो के स्थान पर "अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास समिति" शब्द रखे जाएगे ,

(ख) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाएगा, यथा :—

"स्पष्टीकरण.—इस धारा की कोई भी बात उक्त क्षेत्रीय कार्यालय के उस अधिकारी पर लागू नहीं होगी, जो भारतीय राष्ट्रिक है या भारत में भर्ती किया गया व्यक्ति है।"

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

[सं-II/451(16/2)/85]

एस. हैदर, नयाचार प्रमुख

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 16th June, 1986

NOTIFICATION

S.O. 361(E).—Whereas in pursuance of the exchange of letters between the Government of India and the International Committee of the Red Cross in India, it is necessary to accord the Regional Office of the said International Committee, for a period of five years, privileges and immunities in India similar to those contained in section 7(b), 8 and 18 of the Schedule to the United Nations (privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby declares that the provisions of sections 7(b), 8 and 18 of the said Schedule shall apply, mutatis mutandis, to the Regional Office of the International Committee of the Red Cross in India and to its officers, subject to the following modifications namely :—

Modifications

1. In Article II, —

(a) in section 7, in the opening portion and in clause (b), for the words "United Nations" the words "Regional Office of the International Committee of the Red Cross" shall be substituted;

(b) in section 8, for the words "United Nations", wherever they occur, the words "Regional Office of the International Committee of the Red Cross" shall be substituted.

2. In Article V, —

(a) in section 18,—

(i) in the opening portion, for the words "United Nations", the words "Regional Office of the International Committee of the Red Cross" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words "United Nations", the words "International Committee of the Red Cross" shall be substituted;

(b) the following Explanation shall be added at the end, namely :—

"Explanation.—Nothing in this section shall Apply to an officer of the said Regional Office, who is an Indian national or a person recruited in India."

3. This notification shall remain in force for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[D-II451(16|2)85]

S. HAIDAR, Chief of Protocol

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986